

# न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, टोंक

प्रकरण संख्या

39/2025

श्री मुकेश माली पुत्र श्री गंगाराम माली निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0  
--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार दूनी जिला टोंक

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 08.07.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार दूनी जिला टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 10.03.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:-

1. ग्राम सरोली खसरा नं. 1892/1286 अभि किसके नाम दर्ज है।
2. उक्त खसरा संख्या मे 1892/1286 अभि किसका अतिक्रमण है अतिक्रमण रिपोर्ट प्रति उपलब्ध करावे।
3. उक्त खसरा नं. मे भूमि को अतिक्रमी से कब बैदखल किया गया एवं भूमि को कब्जा राज लिया गया उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध कराये।
4. उक्त भूमि पर वर्तमान में किसका अतिक्रमण है उसकी प्रति रिपोर्ट उपलब्ध कराये।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार दूनी जिला टोंक को पत्र क्रमांक 708 दिनांक 02.05.2025, 836 दिनांक 15.05.2025, 920 दिनांक 28.05.2025 व 1074 दिनांक 13.06.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्त उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार दूनी द्वारा आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नहीं किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार दूनी जिला टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावे। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार दूनी जिला टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।



(कल्प अग्रवाल)

प्रथम जिला कलेक्टर  
एवं जिला टोंक टोंक